

05/04/23

43

05/04/23

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से कोई अपक्षित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के बावजूद वादीगण एवं वादीगण अधिकांश अनुपस्थित रहे। वादीगण एवं वादीगण अधिकांश अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को आगे चलाने के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अदम दायरी एवं अदम वेंसी में खारिज ठिपा जा रहा है। निर्णय आज दिनांक 05/04/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली ईराल सुमार होवर काड लेख भण्डार हो।

उप जिला कलक
लवाण

